



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-10062026-273306
CG-WB-E-10062026-273306

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2872]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 10, 2026/ज्येष्ठ 20, 1948

No. 2872]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 10, 2026/JYAISTHA 20, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पूर्व रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

कोलकाता, 9 जून, 2026

का.आ. 2968(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (7 क) और धारा 20 छ की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में यथा उल्लिखित विशेष रेल परियोजना अर्थात् पश्चिम बंगाल राज्य के स्तम्भ (3) में उल्लिखित जिलों में “पूर्व में दानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाला नया समर्पित मालवाहक गलियारा” के संबंध में सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु स्तम्भ (4) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन से प्राधिकारी के रूप में कृत्य का निष्पादन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और स्तम्भ (5) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन से प्राधिकारी के रूप में कृत्य का निष्पादन करने के लिए पंचाटकता/मध्यस्थ (Arbitrator) के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्रम सं.	परियोजना का नाम	जिला	सक्षम प्राधिकारी भूमि अधिग्रहण	पंचाटकर्ता/ मध्यस्थ (Arbitrator)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	पूर्व में दानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाला नया	पश्चिम मेदिनीपुर	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अधिग्रहण), पश्चिम मेदिनीपुर	मंडलीय आयुक्त, मेदिनीपुर मंडल
2.	समर्पित मालवाहक गलियारा	झारग्राम	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अधिग्रहण), झारग्राम	
3.		पूर्व मेदिनीपुर	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अधिग्रहण), पूर्व मेदिनीपुर	
4.		पुरुलिया	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अधिग्रहण), पुरुलिया	

[फा. सं. दपुरे/निर्माण-संगठन/मुख्यालय/भूमि/पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर/डीएफसीसीआईएल(पश्चिम बंगाल)/एसआरपी/1]
हरि प्रकाश त्रिपाठी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[South Eastern Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Kolkata, the 9th June, 2026

S.O. 2968(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of section 2 and Sub-Section (6) of Section 20F of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), [as amended vide the Railways (Amendment) Act, 2008] the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (4) of the Table below as **Competent Authority** to perform the functions as such authority and in column (5) of the Table below as **Arbitrator** to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette with respect to land acquisition for the Special Railway Project namely, “**New Dedicated freight Corridor connecting Dankuni in the east to Surat in the west**” in the State of West Bengal relating to the districts mentioned in column (3) of the said Table for the public purpose.

TABLE

Sl. No.	Name of the Project	District	Competent Authority Land Acquisition	Arbitrator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	New Dedicated Freight Corridor connecting Dankuni in the East and Surat in the West.	Paschim Medinipur	Additional District Magistrate (Land Acquisition), Paschim Medinipur	Divisional Commissioner, Medinipur Division.
		Jhargram	Additional District Magistrate (Land Acquisition), Jhargram	
		Purba Medinipur	Additional District Magistrate (Land Acquisition), Purba Medinipur	
		Purulia	Additional District Magistrate (Land Acquisition), Purulia	

[F. No. SER/CON-Orgn./HQ/Land/East-West Corridor/DFCCIL (WB)/SRP/1]

HARI PRAKASH TRIPATHI, Chief Admin. Officer(Con)